

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 24/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त, 2020

सा.का.नि. (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित "डाईकीटोपाइरोलो पाइरोल पिग्मेण्ट रेड 254 (डीपीपी रेड 254)" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 41/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 अगस्त, 2015 जिसे सा.का.नि. 637 (अ), दिनांक 17 अगस्त, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में, प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/27/2019-डीजीटीआर, दिनांक 18 दिसम्बर, 2019, जिसे दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को तीन महीने की और अवधि तक जारी रखने के लिए अनुरोध किया है ।

अतः अब, उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 41/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 17 अगस्त, 2015, जिसे सा.का.नि. 637(अ), दिनांक 17 अगस्त, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में क्रम संख्या 4 में स्तंभ (5) की प्रविष्टि के स्थान पर "जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लागू होता है उनसे इतर कोई भी देश " प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, पैरा 1 में संदर्भित सारणी में क्रम संख्या 1, 2, 3 एवं 4 के सामने विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क दिनांक 16 नवम्बर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो, लागू रहेगा।"

[फाइल संख्या 354/180/2015 -टीआरयू (पार्ट-1)]

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार